भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1029

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए समिति

1029. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डीः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए हाल ही में शिक्षा और सामाजिक विकास के संबंध में सचिवों के समूह का गठन किया गया है**;

**(ख) यदि हां**, **तो इस समूह को दिए गए विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है**;

**(ग) क्या इस समूह ने सिफारिश की है कि सभी स्कूलों में अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया जाए तथा प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए जिसमें अंग्रेजी पढ़ाई जाए**;

**(घ) यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समूह द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या-क्या हैं**; **और**

**(ङ) समूह द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का सिफारिश-वार ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

(क): जी, हां। ‘शिक्षा और सामाजिक विकास’ पर विचार करने के लिए सचिवों का एक क्षेत्रीय ग्रुप गठित किया गया था।

(ख): ग्रुप के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) ग्रुप के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की प्रमुख नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं (अग्रणी योजनाओं सहित) की मध्यावधि समीक्षा करना और जहां आवश्यक समझा जाए, वर्ष 2018-19 तक वास्तविक लक्ष्यों, वित्तीय परिव्ययों और कार्यान्वयन कार्यनीतियों के पुनः निर्धारण के लिए सुझाव देना। अलग-अलग राज्य सरकारों की विभिन्न प्राथमिकताओं और क्षमताओं के मद्देनजर कार्यान्वयन कार्यनीतियां बनाई जाएंगी। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाने के उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ग्रुप से अपेक्षा की गई थी कि वह सुधारात्मक उपायों और मॉनीटरिंग तंत्र सहित कार्य योजना तैयार करने के दृष्टिगत योजनाओं की सूक्ष्म समीक्षा करेगा;

(ii) विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों/योजनाओं के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना;

(iii) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए सृजनात्मक, नवाचारी और व्यावहारिक योजनाओं पर जोर देते हुए बजट 2017-18 के लिए नए कर और गैर-कर कार्यक्रम की सिफारिश करना;

(iv) क्षेत्र में उभरते हुए रूझानों और चुनौतियों के आलोक में नई नीति पहल का सुझाव देना और रोजगार सृजन करने, जनांकिक अंश का उपयोग करना और समाज के अत्यधिक कमजोर वर्ग की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष सिफारिशें करना;

(v) नागरिक केन्द्रिक सरलीकरण/फास्ट ट्रेकिंग पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य, प्रक्रियाओं और संस्थाओं की समीक्षा करना;

(vi) उनकी अवस्थिति इत्यादि के संदर्भ में उनके क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले सभी स्वायत्त संगठनों की समीक्षा करना;

(vii) सीपीएसयू, उनके जेवी और उनके अधीन व्यक्तियों (नीति आयोग द्वारा जिनकी समीक्षा कर दी गई है उनके अतिरिक्त) की भूमिका की समीक्षा करना और उनके संबंध में समुचित कार्रवाई के बारे में सुझाव देना;

(viii) विगत ढाई वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री/मंत्रालयों और पीएमओ द्वारा दी गई टिप्पणियों और निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ix) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के एकत्रीकरण को समाप्त करने के लिए स्पष्ट तंत्रों का विकास करना।

(ग): जी, हां। सचिवों के ग्रुप समूह ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र के ‘स्कूल शिक्षा में अंग्रेजी और विज्ञान का संवर्धन’ विषय के अंतर्गत निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(i) स्कूलों में अंग्रेजी को कक्षा 6 से अनिवार्य विषय बनाया जाए;

(ii) प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हो;

(iii) 5 किलोमीटर की परिधि में विज्ञान शिक्षा सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

(घ) और (ड.): शिक्षा और सामाजिक विकास संबंधी सचिवों के ग्रुप की रिपोर्ट में सभी विषयों पर ग्रुप द्वारा दी गई सिफारिशें शामिल हैं। इस सिफारिश का उल्लेख करने वाले रिपोर्ट के उद्धरणों और विशेष रूप से स्कूल शिक्षा में अंग्रेजी और विज्ञान का संवर्धन करने के लिए कार्रवाई बिन्दु निम्नानुसार हैं:

(i) स्कूलों में अंग्रेजी को कक्षा 6 से अनिवार्य विषय बनाया जाए: सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक अंग्रेजी एक विषय होगा;

(ii) प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूलः इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।

(iii) 5 किलोमीटर की परिधि में विज्ञान शिक्षा सुविधा सुनिश्चित की जाएगी: आरएमएसए के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माध्यमिक स्तर (कक्षा IX और X) पर एकीकृत विज्ञान और गणित प्रयोगशाला की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंधन में सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*